



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-08072024-255260
CG-WB-E-08072024-255260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2504]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2024/ज्येष्ठ 14, 1946

No. 2504]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2024/JYAISHTHA 14, 1946

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

निर्माण विभाग

शुद्धिपत्र

कोलकाता, 5 जुलाई, 2024

का.आ. 2639(अ).—भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना क्रमांक 5314 दिनांक 12.12.2023 में संशोधन करते हुए बिहार राज्य के जिला भागलपुर में विशेष रेल परियोजन "गोड्डा-पीरपैती नई बीजी रेल लाइन", रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20क की उप-धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II - धारा 3 - उप-धारा (ii) संख्या 5085 दिनांक 12.12.2023 में प्रकाशित किया गया है। सही करने होगा -

- रिफदपुर मौजा में प्लॉट नंबर 6293, 6299, 6339, और 5459 का क्षेत्रफल क्रमशः 0.12 एकड़, 0.24 एकड़, 0.005 एकड़ और 0.02 एकड़ होगा, 0.13 एकड़, 0.3 एकड़, 0.2 एकड़ और 0.2 एकड़ के बजाय।
- रिफदपुर मौजा का क्रमांक 102 और 103 में प्लॉट नंबर 5174/7606 और 5174/7607 होगा, 7606 और 7607 के बजाय।

[फा. सं. - मु. प्र. अ./नि./ भू./268(A)]

पी.के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(EASTERN RAILWAY)****(Construction Department)****CORRIGENDUM**

Kolkata, the 5th July, 2024

S.O. 2639(E).—In modification of notification No. 5314 dated 12.12.2023 of land acquisition for special Railway Project, namely, "**Godda-Pirpainti New BG Rail Line**" in the District Bhagalpur in the State of Bihar under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II – section 3 – Sub-section (ii) vide No. 5085 dated 12.12.2023, following to be corrected.

1. In Rifadpur Mouza, area of plot nos 6293, 6299, 6339 and 5459 will be 0.12 Acres, 0.24Acres, 0.005Acres and 0.02 Acres respectively, instead of 0.13 Acres, 0.3 Acres, 0.2 Acres and 0.2 Acres.
2. In Rifadpur Mouza, SL No 102 and 103, plot nos will be 5174/7606 and 5174/7607, instead of 7606 and 7607.

[F. No. CAO/Con/L/268(A)]

P.K. SHARMA,Chief Administrative Officer/(Con.)